संख्या – 023/वीजीएल/084/6691

केन्द्रीय सतर्कता आयोग

सतर्कताभवन, जीपीओ काम्प्लैक्स,
ब्लाक-ए, आई.एन.ए, नई दिल्ली-110023
दिनांक16.10.2023

परिपत्र संख्या16/09/23

विषय: परिपत्रों/दिशानिर्देशों/नियमावलियों का अद्यतनीकरण।

संदर्भ:- (i) केन्द्रीय सतर्कताआयोग का दिनांक 11.07.2022 का परिपत्र सं. 14/07/22.

(ii) व्यय विभाग का दिनांक 04.08.2022 का कार्यालय ज्ञापनसंख्या एफ.1/1/2021-पीपीडी

(iii) सार्वजनिक उद्यम विभाग का दिनांक 10.08.2022 का पत्र क्रमांक7(4)/2017-वित्त

(iv) केन्द्रीय सतर्कताआयोग का दिनांक 02.08.2023का परिपत्र सं. 06/08/23

(v) केन्द्रीय सतर्कताआयोग का दिनांक 11.09.2023का परिपत्र सं. 08/09/23

आयोग ने दिनांक 02.08.2023 और 11.09.2023 के अपने परिपत्रों के माध्यम से संगठनों को विभिन्न निवारक सतर्कता उपायों पर ध्यान केंद्रित करते हुए तीन महीने का अभियान (16 अगस्त 2023-15 नवंबर 2023) चलाने की सलाह दी है।आयोग द्वारा बताए गए फोकस क्षेत्रों में से एक "परिपत्रों/दिशानिर्देशों/नियमावलियों को अद्यतन करने" से संबंधित है।

2. यह ध्यान दिया जाए कि केंद्रीय सतर्कता आयोग के सहयोग से व्यय विभाग (डीओई) ने (i) माल की खरीद, (ii) कार्यों की खरीद और (iii) परामर्श और अन्य सेवाओं की खरीद पर नियमावलियों को अद्यतन किया है और पुनः प्रकाशित किया है।

3. आयोग के दिनांक 11.07.2022 के परिपत्र संख्या 14/07/22 द्वारा, केंद्र सरकार के संगठनों के सभी सीईओ और सीवीओको सलाह दी गई थी कि वे अपने स्वयं की नियमावलियों /दिशानिर्देशों को डीओई द्वारा जारी अद्यतन नियमावलियों के प्रावधानों के साथ संरेखित कर लें ।बाद में, डीओई ने दिनांक 04.08.2022 के अपने कार्यालय ज्ञापन तथा सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिनांक 10.08.2022 के पत्र के माध्यम से मंत्रालयों, विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को अपने खरीद नियमावलियों/दिशानिर्देशोंको डीओई केअद्यतन नियमावली के साथ समन्वितकरने की सलाह दी, जो दिनांक 01.07.2022 को जारीकी गई है ।

4. डीओई के अद्यतन नियमावलियों के अनुरूप, संबंधित संगठन की नियमावलियों के अद्यतन/संरेखण के बारे में स्थिति रिपोर्ट नवीनतम 30.10.2023 तक प्रस्तुत की जाए । उन संगठनों के मामले में जिन्होंने अभी तक अपनी

नियमावलियों को अद्यतन नहीं किया है, वे संगठन उस तिथि की भी सूचना दें,जिस तिथि तक यहकार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

5. इसे अनुपालन हेतु नोट किया जा सकता है।

ह०/-
(राजीव वर्मा)
निदेशक

सेवा में,

(i) भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव।
(ii) सीपीएसयू/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों /सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों /स्वायत्त निकायों आदि के सभी मुख्य कार्यकारी अधिकारी ।
(iii) भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों /सीपीएसयू/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों /सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों /स्वायत्त निकायों आदि के सभी मुख्य सतर्कता अधिकारी ।
(iv) केन्द्रीय सतर्कता आयोग की वेबसाइट ।